Food and Supplies Department

Activities, Achievements, Projects and Programmes

1. Activities and Achievements of the Department

A. Procurement

Department procures food/coarse grains with a view to ensure that farmers get remunerative prices for their produce and do not have to resort to distress sale. Procurement also strengthens food security of the nation. During Kharif Marketing Season 2013-14 procurement agencies in Haryana procured 35.75 LMT of leviable paddy on Minimum Support Price (MSP). During Rabi Marketing Season 2013-14, 58.56 LMT of wheat was procured on MSP at Rs. 1350/- per quintal.

The detail of last 8 years' procurement and MSP is as under: -

(Figures in LMTs)

Year	Wheat Pro-cured	MSP of Wheat	Paddy Procured	MSP of Paddy		Bajra Procured	MSP of Bajra
				Common	Grade-A		
2005-06	45.29	640/-	23.56	570/-	600/-	0.05	525/-
2006-07	22.30	650/-+50 bonus	20.47	580/- + 40 bonus	610/- +40 bonus	--	540/-
2007-08	33.50	750/-+100 bonus	17.85	645/-+100 bonus	675/- + 100 bonus	1.23	600/-
2008-09	52.37	1000/-	18.22	850/-+50 bonus	880/-+50 bonus	3.10	840/-
2009-10	69.24	1080/-	26.36	950/-+50 bonus	980/-+50 bonus	0.77	840/-
2010-11	63.47	1100	24.82	1000/-	1030/-	0.74	880/-
2011-12	69.28	1120/-+50 bonus	29.66	1080/-	1110/-	0.18	980/-
2012-13	87.16	1285/-	38.53	1250/-	1280/-	--	1175/-
2013-14	58.56	1350/-	35.75	1310/-	1345/-	--	1250/-

B. Targeted Public Distribution System (now National Food Security Act, 2013 w.e.f. 20.08.2013)

Operation of Targeted Public Distribution System with special emphasis on Below Poverty Line (BPL), including Antodaya Anna Yojana (AAY)

families is another important activity of the Department. During 2012-13, 5.06 LMT of wheat was distributed to targeted beneficiaries. Upto the 3rd quarter (from October to December, 2013) of 2013-14, 85,993 MT of wheat has already been distributed to beneficiaries. The number of beneficiaries being covered under TPDS.

The Government of Haryana has launched the National Food Security Act, 2013 from August 20th 2013. The Act classifies the eligible households into two categories i.e. Antodaya Anna Yojana (AAY) families and Priority Households (PHs). Antodaya Anna Yojana families will continue to get 35 kg of foodgrains in the case of Haryana, per month at highly subsidized rates of Rs. 2.00 per kg. Each member of priority household will get 5 kg of wheat at the same rate. The National Food Security Act is a bold initiative to provide Food Security thereby reducing chronic malnutrition in a substantial manner. The State of Haryana has already launched full implementation of the NFSA, 2013 w.e.f. January, 2014.

Under Dal Roti Scheme, the State Government will also provide 2.5 kg pulses per household per month at subsidized rate of Rs. 20 per kg to AAY and Below Poverty Line (BPL) families to meet their nutritional and proteins needs. The protein contents of the pulse will also provide nutritional security. The distribution of pulses has been started from August, 2013.

The details of TPDS beneficiaries are as under:-

AAY+ Homeless	CBPL	SBPL	TOTAL
267771	479530	390389	1137690

C. Storage

The State is conscious of the fact that the national foodgrains scenario has undergone major quantitative changes in the last 3-4 years. Some of the States; viz Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pardesh, which were earlier deficit States, have now started contributing significantly to the central pool, and is ever increasing. The State of Haryana is aware of the fact that due to change scenario of procurement & movement in the country, its Procurement Agencies would now have to store foodgrains for a longer period. Hence, efforts have been made to increase covered storage capacity in a big way. As on 31.01.2014, the State of Haryana has a covered storage capacity of 70.75 LMT which includes 21.63 LMT

capacity added during the last 3 years. Further, storage capacity to the tune of 12.67 LMT is likely to be added during the current year i.e. 2013-14. It is further intimated that the procurement agencies of the State have been directed by Hon'ble Chief Minister to add another 22 lakh MT storage capacity as owned capacity for which necessary action is being taken by the concerned agencies. Out of 22 LMT, 1.29 LMT capacity has already been created. This would significantly increase the covered storage capacity in the State and it will lead to minimize the storage losses of food grains.

D. Consumer Protection Act, 1986

Enforcement of the Provisions of the Consumer Protection Act, 1986 and creation of awareness among consumers are other important activities of the Department. In this regard quarterly return regarding complaints/appeals received, cases disposed of and cases pending is as under:-

STATE COMMISSION

1.	Total cases filed upto 31.12.2013	:	43,632
2.	Total cases disposed off upto 31.12.2013	:	43,394
3.	Total cases pending upto 31.12.2013	:	498

DISTRICT FORA

1.	Total cases filed upto 31.12.2013	:	2,26,037
2.	Total cases disposed off upto 31.12.2013	:	2,09,612
3.	Total cases pending upto 31.12.2013	:	1,530

In the State of Haryana District Fora have been established in all the 21 Districts. Free of cost land has been provided for the construction of building of District Fora Jhajjar, Hisar, Narnaul, Bhiwani, Jind, Kurukshetra, Sirsa and Yamuna Nagar by the State Government. The buildings of these eight District Fora have been constructed at the cost of Rs.5.60 crore. Out of which Rs.2.40 crore have been provided by the Government of India and remaining amount of Rs.3.20 crore has been provided by the State Government. The buildings of the District Forum, Jhajjar Hisar , Narnaul, Jind, Kurukshetra, Sirsa and Yamuna Nagar have been completed and these District Fora are functioning in own buildings. The building of District Forum, Bhiwani is near completion. The State Government has also provided land measuring 1.77 acre for construction of District Consumer Forum building, Kaithal.

Setting up of Consumer Helpline

A Consumer Helpline in the State of Haryana has been established in the Directorate of Food and Supplies, Haryana and its toll free number is 1800-180-2087. The helpline was made functional w.e.f. 12.08.2013 and was formally inaugurated by Hon'ble FSM on 27th September, 2013 State Consumer Helpline is helping consumers by giving guidelines/advice to sort out their complaints in every sphere in State of Haryana**.** Since its inception (12.08.2013) approximately 3096 complaints have been received, upto 10.02.2014**.**

E. Legal Metrology

The Legal Metrology Act, 2009 was formulated by the Govt. of India to establish and enforce Standards of Weights and Measures, to regulate trade and commerce in weights, measures and other goods which are sold or distributed by weights, measures or number in the interest of consumers by ensuring correct Weights and Measures in various transactions. Under the provisions of the Act, the Government of Haryana has made the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011.

Revenue receipts of Legal Metrology:-

Year	Target Fixed (Rs.)	Target achieved (Rs.)
2004-05	4.00 Crore	3,53,97,730
2005-06	4.20 Crore	3,91,03,439
2006-07	4.23 Crore	3,98,35,701
2007-08	10.00 Crore	5,24,99,452
2008-09	10.00 Crore	8,31,63,099
2009-10	10.00 Crore	8,58,97,281
2010-2011	10.00 Crore	9,71,20,287
2011-2012	10.45 Crore	9,52,62,568
2012-2013	10.40 Crore	10,10,35,161
2013-14	10.75 Crore	9,19,35,124 (upto 31.12.2013)

Challan booked, decided and compounding fee received by Legal Metrology since 2004-05.

Year	Challan booked		Challan decided		Compounding fee	
	Weights & Measures	Packaged commodities rules	Weights & Measures	Packaged commo-dities rules	Weights & Measures (In Rs.)	Packaged commodities Rules(In Rs.)
2004-05	1393	528	1166	411	19,76,100	8, 23, 350
2005-06	1095	315	842	270	19,22,900	9, 21, 800
2006-07	1095	363	856	283	18,12,100	6, 14, 400
2007-08	1702	719	1363	536	41, 22, 800	16,15, 100
2008-09	1555	556	1356	476	37, 59, 250	12,79, 300
2009-10	1576	485	1458	447	45, 24, 900	18,11, 500
2010-11	1322	682	1288	524	23, 20, 350	8, 59, 800
2011-12	655	241	577	286	21,27,300	10,69,300
2012-13	768	277	532	265	31,30,300	12,01,000
2013-14 (upto 31-12-2013)	725	322	772	319	41,89,300	17,58,100

F. Brick-kilns

The Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972' was made under the provisions of section 3 of the East Punjab Control of Bricks Supplies Act, 1949. As on 31.01.2014 there are 2959 Brick Kilns licenses in the State. To ensure availability of bricks for general public and for govt. development works there is complete ban on the movement of bricks outside the State. This control order has been substantially liberalized by the Haryana Government by de-notifying the provisions like fixations of price of bricks, permit system for bricks, maintenance of production and selling of bricks and monthly statements etc.

2. Projects and Programmes

A. Smart Card Based PDS Project.

The Smart Card based PDS pilot project is being implemented in 4 pilot blocks namely Ambala-I, Gharaunda, Sonepat and Sirsa of 4 different districts in Haryana by replacing paper based Ration cards by Smart Ration Cards. 6,46,435 residents have been enrolled during pilot phase. 1,47,883 families have been issued smart ration cards as per their category like APL, BPL

& AAY. The Smart Cards have different color strips for different categories of families (Pink for AAY, Yellow for BPL, Green for APL). Wheat, sugar & kerosene oil are being distributed to BPL and AAY beneficiaries through smart card since July, 2012. Finger prints of 03 authorized members of a family are stored in the chip of the card to ensure that transaction happens only in the presence of beneficiary. In addition, the name, UID number and other details of each member of family and the monthly entitlements of commodities will be stored in the chip of card.

In these four pilot blocks, each Fair Price Shop Owner (FPSO) has been provided with a security Smart Card, which has monthly entitlements of each family linked with said FPS. The FPSO is provided with a Point of Sale (PoS) Smart Transaction Terminal which serves as a single integrated device to perform sales transactions. The device is capable to authenticate the card and finger print of the beneficiary. All the transactions at the FPS (Fair Price Shop) are performed only on the production of the card by one of the 03 authorized members of the family & matching of his/her finger prints. At the end of month, the FPSO gets his transactions uploaded to Central database at Haryana State Data Centre through service window at AFSO and also get his next month allocations loaded on his security smart card in offline mode. In online mode transactions will be directly uploaded on central server from FPS locations.

The aim of the project is to increase accountability, efficiency and transparency in the Public Distribution System. The benefits from successful implementation of the project in these four blocks include containment of spurious and duplicate ration cards and complete track of the ownership of stock in the Supply Chain. Depot owner are able to issue commodities after biometric matching. This is a significant improvement in Citizen-Service.

Smart Card based PDS project has now been subsumed in planned scheme “End-to-end computerization of TPDS operations”. Under component-I of planned scheme, Digitization of Ration Card data, computerization of supply chain management, setting up of PDS Portal, toll free help and online system for grievances redressal is under implementation.

In the 5th meeting of empowered committee for end to end computerization of TPDS operations held on 17.5.2013 at Krishi Bhawan, New Delhi, it was decided that the State Government would complete and restrict the implementation of the scheme in the 4 pilot blocks and would not pursue the

Smart Card pilot scheme roll out in rest of the State. It was also decided to expedite the digitization of ration card data as part of Component-I of End-to-End computerization of TPDS Operations.

Citizen Centric Services

Since August, 2011, seven services concerning Ration Cards like issuance of new ration card, duplicate ration card, surrender certificate, inclusion/exclusion of family member, change of address and change of fair price shop etc. have been given fixed timeframe (as shown below) for facilitating quick services to the public. The process for all these services has been simplified by recasting of application forms.

Sr. No.	Item work	Time Limit	Authority to whom complaint is to be made
1.	Issue of new ration card on receipt of D-I form i.e. Application Form	15 Days	District Food & Supplies Controller
2.	Issuance of new ration card on receipt of surrender certificate	7 days	-do-
3.	Issuance of duplicate ration card	7 days	-do-
4.	Inclusion/Deletion of family member	7 days	-do-
5.	Change of address within same jurisdiction	7 days	-do-
6.	Change of address including change of FPS	7 days	-do-
7.	Issuance of surrender certificate	3 days	-do-

New simplified forms for all above services have been made available in all field offices/PR Centers. Till November, 2013, field offices of Food and Supplies Department received more than 5.30 lacs applications in this regard and services concerning these applications were rendered within stipulated timelines. Details and timelines of services have been displayed prominently in all the field offices of the Department.

D. Result Frame Work Document (RFD)

The RFD document of Food and Supplies Department has been prepared got approved and circulated to all concerned for implementation.

****

खाद्य एवं पूर्ति विभाग
गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ, परियोजनायें एवं कार्यक्रम

1. विभाग की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियां:

क. खरीद

विभाग खाद्यान्न/मोटे अनाजों की खरीद करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके तथा उनको उपज कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। खरीद देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी मजबूत करती है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2013-14 के दौरान हरियाणा में खरीद संस्थाओं द्वारा 35.75 लाख टन मिट्रिक धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। इसी तरह रबी मार्केटिंग सीजन 2013-14 के दौरान 58.56 लाख टन मिट्रिक गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1350/- रू0 प्रति क्विंटल पर की गई।

पिछले 8 वर्षो की खरीद व न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण निम्नप्रकार से है:- *(आंकड़े लाख टन में)*

वर्ष	गेहूँ खरीद	गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य	धान खरीद	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य		बाजरा खरीद	बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य
				कार्मन	ग्रेड-ए		
2005-06	45.29	640	23.56	570	600	0.05	525
2006-07	22.30	650+50 बोनस	20.47	580+40 बोनस	610+40 बोनस	--	540/-
2007-08	33.50	750+ 100 बोनस	17.85	645+100 बोनस	675+100 बोनस	1.23	600/-
2008-09	52.37	1000/-	18.22	850+50 बोनस	880+50 बोनस	3.10	840/-
2009-10	69.24	1080/-	26.36	950 +50 बोनस	980+50 बोनस	0.77	840/-
2010-11	63.47	1100	24.82	1000/-	1030/-	0.74	880/-
2011-12	69.28	1120 +50 बोनस	29.66	1080/-	1110/-	0.18	980/-
2012-13	87.16	1285/-	38.53	1250/-	1280/-	--	1175/-
2013-14	58.56	1350/-	35.75	1310/-	1345/-	--	1250/-

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अब दिनाँक 20.08.2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष महत्व देना है जिसमें अन्तोद्या अन्न योजन परिवार विभाग की एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। वर्ष 2012-13 के दौरान 5.06 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण लक्षित लाभार्थियों को किया गया है। 85,993 मीट्रिक टन खाद्यान्न को पहले ही लाभार्थियों को तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसम्बर, 2013) में वितरित कर दिया गया है।

हरियाणा राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणााली के तहत सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 20.08.2013 से लागू किया गया है। इस नए अधिनियम में पात्र परिवारों को दो श्रेणीयों में विभाजित किया गया है क्रमशः अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार। अन्तोद्या परिवारों को पहले की भांति 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से रियायती दरों पर तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूँ इसी दर पर वितरित किया जाऐगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर्याप्त ढंग से जीर्ण कुपोषण को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतू एक साहसिक पहल है। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को जनवरी, 2014 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ-साथ दाल रोटी योजना को भी लागू किया है इस योजना के तहत गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को 2.500 किलोग्राम दाल 20.00 रुपये प्रति किलो की रियायती दरों पर प्रति परिवार वितरित किया जाऐगा ताकि उनके पोषण तथा प्रोटीन की जरुरतों को पूरा किया जा सकें। दालों का वितरण मास अगस्त, 2013 से शुरु किया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

ए0ए0वाई+होमलैस	**सी0बी0पी0एल0**	**एस0बी0पी0एल**	**कुल**
267771	479530	390389	1137690

ग. भण्डारणः-

राज्य इस बात से भली-भांति परिचित है कि 3-4 वर्षो के दौरान राष्ट्रीय खाद्यान्न परिदृश्य में बड़े गुणात्मक बदलाव देखने को मिले है । कुछ राज्य जैसे कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश जो पहले अभाव वाले क्षेत्र थे, ने अब केन्द्रीय पूल में उल्लेखनीय योगदान देना आरम्भ किया है । इसके साथ ही, केन्द्रीय पूल में हरियाणा का योगदान हमेशा अधिक रहा है । हरियाणा राज्य इस तथ्य को भली-भांति समझता है कि देश में बदल रहे परिदृश्य के कारण राज्य की खरीद एजेंसियों को अब लम्बे समय तक खाद्यान्नों का भण्डारण करना पड़ेगा । इस कारण, व्यापक स्तर पर गोदाम भण्डारण क्षमता बढ़ाई गई है । हरियाणा राज्य में दिनांक 31.01.2014 तक कुल 70.75 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता है, जिसमें 21.63 लाख मीट्रिक टन क्षमता पिछले तीन वर्षो में बढ़ाई गई है । चालू वित्त वर्ष अर्थात 2013-14 के दौरान 12.67 लाख मीट्रिक टन क्षमता ओर बढ़ने की सम्भावना है । इसके अलावा, राज्य की खरीद एजेंसियों को 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये है, जिसके लिए सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे है । 22 लाख मीट्रिक टन में 1.29 हजार मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता पहले से ही तैयार कर दी गई । इससे राज्य में गोदाम भण्डारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा खाद्यान्नों का भण्डारण में नुकसान कम होगा।

घ. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना विभाग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है । दिनाँक 31.12.2013 को समाप्त हुई तिमाही रिपोर्ट जिसमें शिकायतों, अपीलों, निपटान तथा लम्बित मामलों का ब्यौरा निम्नप्रकार से है:-

राज्य आयोग

1. कुल दायर मामलें दिनांक 31.12.2013 तक	:	43,632
2. निपटाये गये मामलें दिनांक 31.12.2013 तक	:	43,394
3. लम्बित मामले दिनांक 31.12.2013 तक	:	498

जिला फोर्म

1. कुल दायर मामलें दिनांक 31.12.2013 तक	:	2,26,037
2. निपटाये गये मामलें दिनांक 31.12.2013 तक	:	2,09,612
3. लम्बित मामले दिनांक 31.12.2013 तक	:	1,530

हरियाणा राज्य में सभी 21 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किए हुए है। राज्य सरकार द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम झज्जर, हिसार, नारनौल, भिवानी, जीन्द, कुरुक्षेत्र, सिरसा व यमुनानगर को भवन निर्माण हेतू नि:शुल्क जमीन उपलब्ध करवाई गई है। इन 8 जिलों में भवन निर्माण का कार्य 5.60 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हो चुका है। जिसमें से 2.40 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार द्वारा और शेष 3.20 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। जिला फोरम झज्जर, हिसार, नारनौल, कुरूक्षेत्र, सिरसा व यमुनानगर में भवन निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ये सभी उपभोक्ता फोरम अपने नये भवनों में कार्य कर रहे हैं। जिला उपभोक्ता फोरम, भिवानी का भवन तैयार होने वाला है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 1.77 एकड़ जमीन जिला उपभोक्ता फोरम, कैथल के भवन के निर्माण हेतू दी गई है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना

राज्य में उपभोक्ता हैल्पलाईन खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निदेशालय में स्थापित की जा चुकी है तथा इसका टोल फ्री नम्बर: 1800-180-2087 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन दिनांक 12.08.2013 से कार्यरत है तथा इसका विधिवत उदघाटन दिनांक 27.09.2013 को माननीय खाद्य मंत्री महोदय, हरियाणा द्वारा किया गया है। हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतू मार्गदर्शन करने में कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय (दिनांक 12.08.2013) से दिनांक 10.02.2014 तक लगभग 3014 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।

विधिक माप विज्ञान संगठन:

केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्तओं के हित में सही माप-तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम 2009 लागू किया गया है ताकि बाट एवं माप के मानक नियमित, प्रदत किए जा सके तथा अन्य ऐसे मामलें जिनका विक्रय अथवा वितरण माप, तोल और संख्या में किया जाता है तो व्यापार अथवा वाणिज्य को विनिमित किया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा सरकार ने विधिक माप (प्रवर्तन) नियम, 2011 बनाए है:-

विधिक माप विज्ञान की राजस्व प्राप्ति:- (राशि-करोड़ में)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2004-2005	4.00 करोड़	3,53,97,730
2005-2006	4.20 करोड़	3,91,03,439
2006-2007	4.23 करोड़	3,98,35,701

2007-2008	10.00 करोड़	5,24,99,452
2008-2009	10.00 करोड़	8,31,63,099
2009-2010	10.00 करोड़	8,58,97,281
2010-2011	10.00 करोड़	9,71,20,287
2011-2012	10.45 करोड़	9,52,62,568
2012-2013	10.40 करोड़	10,10,35,161
2013-2014	10.75 करोड़	9,19,35,124 (31.12.2013 तक)

वर्ष 2004–05 से किये गये चालान, निर्णीत चालान एवं अपराधों के प्रशमन के लिए फीस की स्थिति निम्नप्रकार से है:– (राशि–लाख रू0 में)

वर्ष	किये गये चालान		निर्णय किये गये चालन		अपराधों के प्रशमन के लिए फीस	
	बाटों व मापों	पैकेज में रखी वस्तु नियम	बाटों व मापों	पैकेज में रखी वस्तु नियम	बाटों व मापों (राशि)	पैकेज में रखी वस्तु नियम (राशि)
2004-05	1393	528	1166	411	19,76,100	8, 23, 350
2005-06	1095	315	842	270	19,22,900	9, 21, 800
2006-07	1095	363	856	283	18,12,100	6, 14, 400
2007-08	1702	719	1363	536	41, 22, 800	16,15, 100
2008-09	1555	556	1356	476	37, 59, 250	12,79, 300
2009-10	1576	485	1458	447	45, 24, 900	18,11, 500
2010-11	1322	682	1288	524	23, 20, 350	8, 59, 800
2011-12	655	241	577	286	21,27,300/-	10,69,300/-
2012-13	768	277	532	265	31,30,300/-	12,01,000/-
2013-14 (दिनांक 31.12.13 तक)	725	322	772	319	41,89,300	17,58,100

ईट भट्टे:

हरियाणा में पूर्वी पंजाब ईट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा ईट आपूर्ति आदेश, 1972 लागू किये गये। हरियाणा में 2959 ईट भट्टा लाईसेन्स दिनांक 31.01.2014 तक कार्यरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आम जनता को ईटों की उपलब्धता में परेशानी न हो तथा सरकारी

विकास कार्य भी सरलता से चलें, ईंटों की राज्य से बाहर की आवा-जाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इस अधिनियम के अनुसार पुरानी प्रथायें जिनमें ईन्टों की कीमतों को निर्धारित करना, ईन्टों के लिये परमिट जारी करना, उत्पादन तथा बिक्री से सम्बन्धित मासिक रिकार्ड भेजना इत्यादि शामिल है, को सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए उदारीकरण कर दिया गया है।

2 परियोजनाएं एवं कार्यक्रम

क. स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना ।

स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का हरियाणा के 4 विभिन्न जिलों कें 4 ब्लाकों नामित अम्बाला-1, घरौडा, सोनीपत और सिरसा में कागज आधारित राशन कार्ड को स्मार्ट कार्ड से परिवर्तित करके कार्यान्वित किया जा रहा है। पायलट फेस के दौरान 6,46,435 निवासियों का नामांकन हो चुका है। 1,47,883 लाख परिवारो को स्मार्ट राशन कार्ड उनकी वर्गो के अनुसार जैसे ए.पी.एल., बी.पी.एल तथा ए.ए.वाई. के अनुसार जारी किये गये। परिवारो के वर्गो के अनुसार स्मार्ट कार्ड भी अलग-2 रंगो के है (जैसे ए.ए.वाई. के लिये गुलाबी, बी.पी.एल. के लिये पीला तथा ए.पी.एल. के लिये हरा) । गेहूँ, चीनी, तथा ते बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. लाभार्थियों को स्र्माट कार्ड से जुलाई, 2012 से वितरित किये जा रहे है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि लाभार्थी की उपस्थिति में राशन वितरण हुआ है परिवार के तीन सदस्यो के ऊंगलियों के निशान कार्ड के चिप के अन्दर संरक्षित किये जाते है । इसके अतिरिक्त लाभार्थी का नाम, आधार नम्बर व अन्य सूचना, वस्तुओं की मासिक पात्रता चिप के अन्दर संरक्षित किये जाते है ।

इन 4 पायलट ब्लाकों में सरकारी राशन की दुकान के मालिक को एक सुरक्षा स्मार्ट कार्ड दिया जाता है जिसके अन्दर उस सरकारी राशन की दुकान से सम्बन्धित परिवारो का विस्तृत ब्यौरा होता है । सरकारी राशन की दुकान के मालिक को ब्रिकी बिन्दू से सम्बन्धित एक मशीन दी जाती है जिससे वह ब्रिकी से सम्बन्धित सभी कार्य करता है । यह मशीन लाभार्थी के ऊंगलियों के निशान व कार्ड की पहचान करती है । सरकारी राशन की दुकान पर राशन का वितरण स्मार्ट कार्ड पर तीन में से किसी एक व्यक्ति की ऊंगली के मिलान के बाद ही किया जाता है । महीने के अन्त में सरकारी राशन की दुकान का मालिक सभी विस्तृत ब्यौरे को हरियाणा राज्य डाटा केन्द्र के केन्द्रीय डाटाबेस में सर्विस विन्डो द्वारा अपलोड कर देता है तथा उससे अगले महीने की आबंटन सुरक्षा स्मार्ट कार्ड में ऑफलाईन ले लेता है । सभी सरकारी राशन की दुकानो से ऑनलाईन मोड में जो लेन-देन सीधा केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड कर दी जाती है ।

इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जवाबदेही, दक्षता तथा पारदर्शिता लाना है। इस योजना को 4 पायलट ब्लॉक में सही प्रकार से लागु करने से

अतिरिक्त तथा नकली राशन कार्ड के उपर नियन्त्रण और आपूर्ति श्रंखला में भण्डार के स्वामित्व का ब्यौरा रखा जा सकेगा । डिपो होल्डर ऊंगलियो के मिलान के बाद ही राशन का वितरण कर सकेगा । यह नागरिक सेवा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली को अभी Planned Scheme के End-to-End computerization में सम्मिलित कर दिया गया है। Planned Scheme के भाग-I के अन्र्तगत राशन कार्ड का अंकरूपण, आपूर्ति श्रृखला कडी का कम्पयूटरीकरण पी.डी.एस. पोर्टल, टोलफ्री सहायता, उपभोक्ता शिकायतों का आनलाइन निवारण किया जाना सम्मिलित है।

दिनांक 17.05.2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हुई 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार इस योजना को 4 पायलट ब्लॉक में ही पूरी तरह से लागू करेगी तथा शेष जिलो में कार्यान्वित नहीं करेगी । यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्तत: कम्प्यूटीकरण के पहले भाग में राज्य सरकार राशन कार्ड डाटा का अंकरूपण शीघ्रता से करेगी ।

ग. नागरिक केन्द्रीत सेवा

जनसाधारण को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू अगस्त 2011 से राशन कार्ड से संबंधित सात सेवाओं जैसे नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, समर्पण प्रमाण पत्र, नया सदस्य शामिल/काटने बारे, पता बदलने तथा उचित मूल्य की दुकान बदलने इत्यादि को समयबद्ध सीमा (जैसा नीचे दर्शाया गया है) में निपटाने हेतू आदेश जारी किये गये हैं। आवेदन पत्रों को नए सिरे से बनाकर उपरोक्त सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

कमांक	सेवा का नाम	समय सीमा	सक्षम अधिकारी जिसे शिकायत की जानी है।
1	फार्म डी-1 प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना	15 दिन	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक
2	समर्पण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना	7 दिन	-सम-
3	डुपलीकेट राशन कार्ड जारी करना	7 दिन	-सम-
4	परिवार के सदस्य दर्ज करना/काटना	7 दिन	-सम-
5	पता बदलना (जब क्षेत्र न बदलना हो)	7 दिन	-सम-
6	पता बदलने के साथ उचित मूल्य की दुकान का बदलना	7 दिन	-सम-
7	समर्पण पत्र जारी करना	3 दिन	-सम-

उपरोक्त सेवाओं से संबंधित नए सरलीकृत आवेदन पत्र सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं पी0आर0 केन्द्रों पर उपलब्ध है। नवम्बर 2013 तक विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन सेवाओं से संबंधित 5.30 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निर्धारित

समयअवधि में निपटान किया जा चुका है। सवाओं के विस्तार एवं समयसीमा को प्रमुखता से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया है।

घ. परिणाम स्वरूप दस्तावेज (आर.एफ.डी.)

खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने आर.एफ.डी दस्तावेज तैयार करके राज्य सरकार से स्वीकृत करवाने उपरांत सभी संबंधित को दृढ़ पालनार्थ हेतू प्रेषित किया है।

****